



JALAUN POLICE

दिनांक – 20.10.2026

थाना रेंडर पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार / अश्लील हरकत करने वाले 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय, झांसी परिक्षेत्र, झांसी श्री आकाश कुलहरि के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री सुरेश चन्द्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ० ईशान सोनी के नेतृत्व में थाना रेंडर पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज 6.0 अभियान के तहत दिनांक 19.10.2026 को आंभे० रविन्द्र सिंह कुशवाहा पुत्र सुखवीर नि०मु० छिपियाना कस्बा व थाना नदीगांव जिला जालौन उम्र करीब 25 वर्ष 2. तिलक सिंह पुत्र प्रताप सिंह नि०ग्राम मंगरौल थाना रेंडर जिला जालौन उम्र करीब 24 वर्ष को मेला प्रांगण नावली माता मंदिर ग्राम नावली थाना रेंडर जिला जालौन में मेला देखने आने जाने वाली महिलाओं को देखकर अश्लील गाना गाने और अश्लील शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया है।

जिसके सम्बन्ध में थाना रेंडर पर मु०अ०सं० 96/2026, धारा 296 बीएनएस बनाम रविन्द्र सिंह पुत्र सुखवीर सिंह निवासी मोहल्ला छिपियाना थाना व कस्बा नदीगांव, जनपद जालौन, उम्र करीब 25 वर्ष एवं मु०अ०सं० 97/2026 धारा 296 बीएनएस बनाम तिलक सिंह पुत्र प्रताप सिंह नि०ग्राम मंगरौल थाना रेंडर जिला जालौन उम्र करीब 24 वर्ष पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. रविन्द्र सिंह पुत्र सुखवीर सिंह उम्र करीब 25 वर्ष निवासी मोहल्ला छिपियाना थाना व कस्बा नदीगांव, जनपद जालौन
2. तिलक सिंह पुत्र प्रताप सिंह उम्र करीब 24 वर्ष नि०ग्राम मंगरौल थाना रेंडर जिला जालौन

पुलिस टीम का विवरण –

1. थाना रेंडर पुलिस